न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या :– 01/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/253**
दायर दिनांक :– 09.09.2024 **निर्णय दिनांक :– 25.04.2025**

1. मुमल देवी पुत्री स्व. लादूराम पत्नी अचलाराम जाति विश्नोई निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अपीलाण्ट

बनाम

1. रामूराम पुत्र स्व. लादूराम जाति विश्नोई निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. खमूराम पुत्र स्व. लादूराम जाति विश्नोई निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. जैती पत्नी स्व. नारायणराम जाति विश्नोई निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. गोपीराम पुत्र स्व.नारायणराम जाति विश्नोई निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. सायरी पुत्री स्व.नारायणराम जाति विश्नोई निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. समदी पुत्री स्व.नारायणराम जाति विश्नोई निवासी उदट तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. बालीदेवी पुत्री स्व.लादूराम पत्नी सुरजनराम जाति विश्नोई निवासी उदट तह. घंटियाली
8. चन्दूदेवी पुत्री स्व.लादूराम पत्नी रामकिशन जाति विश्नोई नि. भोजासर तह. व जिला फलोदी
9. सरपंच ग्राम पंचायत लूणा पंचायत समिति घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–रेस्पोडेण्टस

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 18/67 मौजा उदट

सहायक कलेक्टर ★ (एस.डी.एम.) बाप, जिला फलोदी ★

उपस्थित :– 1. श्री सुभाष विश्नोई अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता रेस्पोडेण्टस संख्या 1 ता 6 की और से

–:: निर्णय ::–

अपीलांट राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय की पेश कर निवेदन किया कि ग्राम उदट के खेत खसरा नम्बर 68 रकबा 424–14 बीघा, खसरा नम्बर 141 रकबा 65–05 बीघा, खसरा नम्बर 179 रकबा 83–14 बीघा, खसरा नम्बर 185 रकबा 198–00 बीघा, खसरा नम्बर 191 रकबा 476–01 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंट अपीलार्थी के पिता लादूराम व उसके चाचा लच्छीराम के नाम 1/2–1/2 हिस्सा खातेदारी व राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि को आगे विवादग्रस्त भूमि के नाम से पुकारा जायेगा जिस पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि पर बतौर खातेदार अपीलार्थी का लगातार कब्जा व काश्त आज दिन तक निरन्तर जारी

25/04/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

है। लादूराम के तीन पुत्र रामूराम, खमूराम व नारायणराम तथा तीन पुत्रियां बालीदेवी, चन्दुदेवी व मुमलदेवी है। नारायणराम फौत हो चुके है उनके वारिस पत्नी जैती व एक पुत्र गोपीराम तथा दो पुत्रियांक सायरी व समदी है तथा अपीलार्थी मुमलदेवी एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 8 लादूराम के वारिस है। लादूराम की भूमि पर अपने पिता के साथ अपीलार्थी बाल्यकाल से काबिज है तथा काश्त करती आ रही है तथा वर्तमान अपीलार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि पर काश्त कर रही है, उक्त भूमि अपीलार्थी की पैतृक भूमि है जो अपीलार्थी के दादा व पड़दादा व पिता की खातेदारी से अपीलार्थी को मिली जिसमें अपीलार्थी अपने बाल्यकाल से पिता के साथ काश्त कर रही है। अपीलार्थी के पिता लादूराम का देहान्त सम्वत 2028 में हो गया था उनके फौत होने पर उनके वारिसों के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 18/67 ग्राम पचायत लूणा द्वारा स्वीकृत किया गया जिसमें पटवारी हल्का ने लादूराम के वारिसों की बिना जांच किये आनन फानन में फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया तथा पुत्री/अपीलार्थी मुमलदेवी का नाम नामान्तरकरण भरते समय राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया जो कानूनन गलत है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थी को अपने वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम उदट की जमाबंदी लेने हल्का पटवारी के पास गयी तब हुई। हल्का पटवारी ने बताया कि उक्त जमीन में आपका नाम नहीं है तब अपीलार्थी ने हल्का पटवारी से रेकर्ड देखा जिसमें भी अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं था जिस पर अपीलार्थी ने हल्का पटवारी से अपने पिता के फौतेदगी नामान्तरकरण की नकल मांगी जो उसी रोज 18.08.2024 को प्राप्त हुई जब इस बाबत सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई तत्पश्चात अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पूर्क कर राजस्व रेकर्ड व नामान्तरकरण इत्यादि दिखाये तब अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इसकी अपील करनी पड़ेगी खर्चे की व्यवस्था कर अपील तैयार करवायी जाकर ज्ञान की तारीख से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपील को अन्दर मियाद शुमार करने हेतु अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा में ग्राम उदट से विधि विरूद्व स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 18/67 के विरूद्व एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत ठोस आधारो पर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में पारित किया गया है जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं करवाई गयी थी तथा जिसकी जानकारी अभी हाल ही में अपने पीहर रक्षाबंधन पर गई तब वहां पर मेरे पीहर पक्ष के लोगों द्वारा बताया गया कि आपका नाम तो राजस्व रेकर्ड में नहीं चढा तब में दिनांक 18.08.2024 को हल्का पटवारी के पास जमाबंदी की नकल लेने गयी तब पटवारी हल्का ने बताया कि वादग्रस्त भूमि में अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं है। लादूराम के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय आपका नाम खातेदारी मे दर्ज नहीं किया जिस पर अपीलार्थी ने पटवारी हल्का से नकल मांगी तथा हल्का पटवारी ने उसी रोज अपीलार्थी का नामान्तरकरण की नकल तैयार करके दे दी जिसको पढा सुना कर मालूम करने पर पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। अपीलार्थी एक महिला है तथा कानून की जानकारी नहीं रखती है। अपीलार्थी ने अधिवक्ता

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

से सम्पर्क कर उक्त नामान्तरकरण पर कानूनी सलाह विचार विमर्श किया तब अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उक्त नामान्तरकरण की अपील करनी पडेगी तो अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से अपील तैयार करवाकर जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपील को जानबूझकर लाभ प्राप्त करने के उदेश्य से पेश करने में कोई देरी नहीं की गयी है। अपीलाधीन नामान्तरकरण नियम विरूद्व होने से इस प्रकार के आदेशों के लिये विधि मे कोई मियाद नहीं है, इसलिए विलम्ब कन्डोन करने के पर्याप्त आधार विद्यमान है। इस कारण न्यायहित मे विलम्ब कन्डोन किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के तहत न्यायोचित है। अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जाने का आदेश फरमावे।

अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटस की तलबी जरिये समन की गई। रेस्पोडेंटस सं. 1 ता 6 की तरफ से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया। रेस्पोडेंट्स सं. 7 ता 8 की तरफ से अधिवक्ता अशोक विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 9 ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 10 ने मूल नामान्तरकरण की प्रति प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गयी। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 7 ता 8 जवाब पेश नहीं करना चाहते है अतः इनका जवाब बंद किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंटस सं. 1 ता 6 ने जवाब अपील मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जो इस प्रकार है कि ग्राम उदट के खसरा नम्बर 68 रकबा 424–14 बीघा, खसरा नम्बर 141 रकबा 65–05 बीघा, खसरा नम्बर 179 रकबा 83–14 बीघा, खसरा नम्बर 185 रकबा 198–00 बीघा, खसरा नम्बर 191 रकबा 476–01 बीघा भूमि पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता रेस्पोडेन्टस संख्या 4 ता 6 के दादा व रेस्पोडेन्टस संख्या 3 के ससुर लाधूराम पुत्र रतनाराम व अन्य खातेदारान के नाम दर्ज थी। जिसमें 1/2 हिस्सा लाधूराम का था और लाधूराम के फौत होने के बाद में वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खातेदारों के नाम अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि में अपीलाण्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं है और न ही उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर अपीलांट का कब्जा है। उक्त भूमि किसी प्रकार से वादग्रस्त भूमि नहीं है। उक्त भूमि के मूल खातेदारान ने आपस में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार आपसी सहमति का बंटवाड़ा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में कर लिया था और उक्त बंटवाड़ा अनुसार नामान्तरकरण संख्या 685 मौजा लूणा भरा जाकर स्वीकृत हुआ और खातेदारों के कब्जा व काश्त अनुसार नक्शा लट्ठा में तरमीम भी कर दी है और उसी अनुसार ही वर्तमान सभी खातेदारों का कब्जा व काश्त है। अपीलांट ने उक्त वंशावली सरासर गलत रूप से दर्शाई गई है। लाधूराम के वारिसान रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 6 ही है। इनके अलावा कोई भी अन्य लाधूराम के वारिस नहीं है। उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर लाधूराम का अपने जीवनकाल तक कब्जा व काश्त रहा उनके फौत होने के बाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 का जमाबंदी में दर्ज हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर अपीलांट का कब्जा व काश्त नहीं रहा है। लाधूराम पुत्र रतनाराम का विरासत नामान्तरकरण संख्या 18/67 मौजा लूणा

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

लाधूराम के सभी वारिसान के नाम से भरा जाकर स्वीकृत हुआ था। उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा सवर्तसम्मति से मजमे आम में बाद जांच लाधूराम के सभी वारिसान के नाम से भरा जाकर स्वीकृत हुआ है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत हुवे अर्द्व शताब्दी (50 वर्ष) पूर्व स्वीकृत हुआ था। अपीलांट का उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। अपीलांट ने दर्शाया है कि दिनांक 18.08.2024 को उक्त नामान्तरकरण की प्रथम बार जानकारी हुई थी लेकिन अपील के साथ पेश नामान्तरकरण संख्या 18/67 मौजा लूणा पटवारी हल्का से दिनांक 18.06.02024 को पी 35 कमांक 416 ग्राम लूणा को जारी हो रखा है जो नामान्तरकरण स्वयं से प्रथम दृष्टया साबित है और अपीलांट स्वंय ने अपील के साथ में चालू जमाबंदी पेश की है जो जमाबंदी दिनांक 09.09.2024 को जारी हो रखी है जो अपील पेश करने से लगभग 1 वर्ष पूर्व की है। इसलिए उक्त अपील मियाद बाहर होने से काबिल खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का जबाब इस प्रकार है कि अपीलांट को उक्त अपील में वर्णित तथ्य एवं दस्तावेजात के आधार पर सफलता मिलने की किसी प्रकार की कोई गुंजाईश नहीं है। अपीलांट ने अपने आप को उदट ग्राम का निवासी बताया है और 50 वर्षो तक राजस्व रेकर्ड की जानकारी का ज्ञात नहीं होना कतई मानने योग्य नहीं है। अपीलांट ने दर्शाया है कि दिनांक 18.08.2024 को उक्त नामान्तरकरण की प्रथम बार जानकारी हुई थी लेकिन अपील के साथ पेश नामान्तरकरण संख्या 18/67 मौजा लूणा पटवारी हल्का से दिनांक 18.06.2024 को पी–35 कमांक 416 ग्राम लूणा से जारी हो रखा है जो नामान्तरकरण स्वयं से प्रथम दृष्ट्या साबित है। उक्त अपील सरासर गलत तथ्य वर्णित कर नामान्तरकरण की जानकारी के दो माह बाद पेश की गई है इसलिए उक्त अपील मियाद बहार होने से प्रथम दृष्टया ही काबिल खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम एवं राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम सुनी गयी। हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। हमनें उभय पक्षकरान की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुये उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है :–

अपीलांट मूमल ने रेस्पोडेन्टस के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस संख्या 1, 2, 7, 8 के पिता एवं 3 ता 6 के दादा लादूराम पुत्र रतनाराम के नाम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 68 रकबा 424–14 बीघा, खसरा नम्बर 141 रकबा 65–05 बीघा, खसरा नम्बर 179 रकबा 83–14 बीघा, खसरा नम्बर 185 रकबा 198–00 बीघा, खसरा नम्बर 191 रकबा 476–01 बीघा 1/2 हिस्सा भूमि ग्राम उदट में स्थित थी, लादूराम के तीन पुत्र, तीन पुत्रियां वारिसान थे लादूराम का देहान्त हो चुका था। लादूराम की फौतेदगी के पश्चात रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 02 व नारायणराम के नाम नामान्तरण संख्या 18/67 स्वीकृत करवा लिया जबकि अपीलांट भी लादूराम की पुत्री थी, इसलिए नामान्तरण संख्या 18/67 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के विरूद्व होने के कारण काबिल ए खारिज है। नामान्तरण की स्वीकृति के समय अपीलांट को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पेश करते हुए निवेदन किया है कि अपीलांटस को दिनांक 18.08.2024 को अपनी भूमि की जमाबंदी पटवारी हल्का से लेने गयी और जमाबंदी मांगी तो हल्का पटवारी ने बताया कि उक्त जमाबंदी मे तुम्हारा नाम नहीं है तो अपीलांट ने जमाबंदी व नामान्तरकरण मांगा तो हल्का पटवारी ने दिनांक 18.08.2024 को अपीलांट को बताया कि तुम्हारे पिता लादूराम पुत्र रतनाराम फौत हुए तो उनके फौतेदगी के नामान्तरण में तुम्हे शामिल किए बगैर ही स्वीकृत कर दिया गया इसलिए तुम्हारा नाम सम्मिलित नहीं है। अपीलांटस को दिनांक 18.08.2024 से पूर्व नामान्तरकरण की जानकारी किसी भी स्त्रोत से नहीं थी इसलिए अपीलांट को उक्त अपील पेश करने में हुई देरी का कंडोन दिया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 6 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 18/67 ग्राम उदट में वर्णित भूमि लादूराम के फौत होने के पश्चात इनके वारिसानों ने रामूराम, खमूराम, नारायणराम के नाम से 1/2 हिस्सा का भरा जाकर स्वीकृत किया गया। उक्त भूमि के खातेदारों द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में आपसी सहमति का बंटवाड़ा कर लिया था। उक्त बंटवाड़ा अनुसार नामान्तरकरण संख्या 685 मौजा लूणा भरा जाकर स्वीकृत हुआ और खातेदारों का कब्जा काश्त अनुसार नक्शा लट्ठा में तरमीम भी कर दी गयी, उसी अनुसार ही वर्तमान में सभी खातेदारों का कब्जा काश्त है। रेकर्डेड खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिनके नाम भूमि दर्ज है उनको प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त के तहत सुना जाना जरूरी है। लादूराम के तीन वारिसान पुत्र ही थे। पुत्रियां होने संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। प्रकरण में मियाद का बिन्दु सबसे महत्वपूर्ण है। अपील 50 वर्ष बाद अपीलांट द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गई है जो मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2004(1) पेज संख्या 19 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन, में अभिनिर्धारित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने विलम्ब का शमन 480 दिन के विलम्ब के बाद अपील पेश की–विलम्ब के लिये सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया–विलम्ब शमन हेतु उचित मामला नहीं है। आर.आर.टी 2004(2) पेज संख्या 1219 आदारसिंह व अन्य बनाम सुरजाराम व अन्य एवं आर.आर.टी. 2006–07(supp.) पेज संख्या 34 माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर ने अभिनिर्धारित किया है कि विलम्ब शमन का आदेश अन्तिरम आदेश नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट ने नामान्तररकण संख्या 18/67 को चुनौती दी है। अपीलांट लादूराम की वारिसान होने के बावजूद उसका नाम दर्ज नहीं किया गया, लादूराम पुत्र रतनाराम फौत होने पर इनके सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत लूणा द्वारा विधिक प्रावधानों का सम्यक अनुपालन नहीं कर वारिसान की जांच किये बिना उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। लादूराम के 3 पुत्र व 3 पुत्रियां थी। अपीलांट लादूराम की पुत्री होने से उसका पैतृक सम्पति में जन्म से हक हिस्सा निहित होता है। उक्त अपील गुणहीन नहीं है, ऐसी स्थिति में मियाद के सम्बंध में उदार दृष्टिकोण रखना विधि की प्राथमिक आवश्यकता है। विधि

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अनुसार निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। आर.आर.टी. 2002(1) पेज 649 राजस्थान सरकार बनाम श्योचंद में माननीय उच्च न्यायालय व आर.आर.टी. 2004(1) पेज 375 प्रेमचंद बनाम कमलाबाई में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि विलम्ब उपशमन पर विचार करते हुए सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए। यदि मेरिट पर प्रकरण है तो विलम्ब माफ कर देना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम हम स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि नामान्तरकरण संख्या 18/67 मौजा उदट विधि विरूद्व होने तथा प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त कर तहसीलदार बाप को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित होगा कि संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये स्व. लादूराम पुत्र रतनाराम के विधिक वारिसानों की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृत करें।

–:: आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 मय अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाती है। अपील में हुए विलम्ब काल को नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के तहत माफ किया जाता है। नामान्तरकरण संख्या 18/67 मौजा उदट विधि विरूद्व होने तथा प्रकियागत त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त कर तहसीलदार बाप को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सम्बंधित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए लादूराम पुत्र रतनाराम के विधिक वारिसान की जांच करते हुए विधि के प्रावधानों की पालना में पुनः निर्णय पारित कर नए सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

(सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)